शोध सारांश

बलात्कार, समाज की आम घटना मानी जाती है पर पीड़िता के लिए ऐसी वीभत्स घटना है कि जीते जी उसकी सामाजिक मृत्यु हो जाती है। उसे दुबारा सामान्य जीवन जीने लायक होने में वर्षों लग जाता हैं। न्याय पाने के लिए पीड़िता को भी किसी और अपराध की तरह समाज और कानून के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन यह घटना आधी आबादी के खिलाफ पितृसत्तात्मक नियंत्रण के रूप में देखना, और यह कितनी हिंसात्मक है, इसके कारण, प्रभाव, और समाधान के बारे में समय रहते सोचने की जरूरत है| बलात्कार,समाज में हो रही सामान्य घटनाओं से भिन्न है। बलात्कार समाज में हो रही सबसे वीभत्स घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए, कम होगी। क्योंकि यह समाज में महिलाओं के खिलाफ सबसे दुखद और असहनीय घटना होती है।वैश्वीकरण के दौर में , इन घटनाओं के कारण हमें वैश्विक समाज में बहुत ही निंदनीय आलोचना सहनी पड़ती हैं। जिन महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी वीभत्स घटना घटती है, उन्हें समाज में किस नज़र से देखा जाता हैं, यह बहुत ही दुखद और चिंतनीय है। जिन महिलाओं के साथ यह घटना घटती है, वह शारीरिक, मानसिक और भी कई तरह की यतनाओं से गुजरती है। इन यतनाओं से निकलने में उसे कभी-कभी पूरा जीवन लग जाता है। फिर भी वह निकल नहीं पाती है। यदि यातना रूपी घटना को भूल कर निकलना भी चाहती है तो बुद्धिजीवियों ने महिलाओं के लिए ऐसे शब्द ईज़ाद किए हैं कि उन शब्दों के उच्चारण मात्र से महिलाओं को शर्मसार होते हुए लगभग सामाजिक मृत्यु हो जाती है। दुबारा वह यातना की दुनिया में चली जाती है

जब कि सर्वज्ञात हैं कि जब भी बलात्कार जैसी वीभत्स घटना किसी महिला के साथ घटती है तो महिला को ही दोषी समझकर उसके साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया जाता है। यह किसी भी सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। यह इस तरह के समाज के नियामक पर प्रश्न खड़ा करती है। यह किस तरह एक सभ्य समाज कहला सकता है ? जहां तक यौन सुचिता की बात है, जो भी पैमाना हमारे कुटिल

बुद्धिजीवियों ने महिलाओं के लिए बनाए हैं, वह सामाजिक भेद-भाव और असमानता पर आधारित है। सिर्फ महिलाओं के लिए ऐसी व्यवस्था बनाने के पीछे पुरुषों की एक सोची समझी कूटनीति और निहायत गंदी मानसिकता को दर्शाती है। इतने असमान और लोकतांत्रिक मूल्य पुरुषों के लिए नहीं है, ऐसा क्यों? उन कुटिल बुद्धिजीवियों से प्रश्न पूछना अनिवार्य हो जाता है कि आखिर पुरुषों के लिए वह व्यवस्था क्यों नहीं है? जहां महिला को जीवन के हर पड़ाव पर निर्भरता और गुलामी की शिक्षा दी जाती है वहीं पुरुषों के लिए कुछ भी करने के खुले अवसर क्यों प्रदान किए जाते है| ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये बुद्धिजीवी वर्ग सिर्फ पुरुषों का था इसलिए उन्होंने अपने पुरुष वर्गों का बचाव किया है। स्त्री धीरे-धीरे पुरुष की लोलुपता की शिकार भर बन कर रह गई और उसकी यौनिकता पर दुनियाभर के नैतिक मानदंड लगाकर उसे उसकी यौनि तक ही देखा गया| अब उसे सिर्फ हासिल करने की दृष्टि से देखा जाता है और बलात्कार इसका व्यावहारिक रूप है| बलात्कार सबसे वीभत्स घटना मानी जाती है लेकिन इसमें इससे भी बुरी बात यह है कि इसमें उत्पीड़िता को बुरी नज़र से देखा जाता है। जिसमें उसका पूरा व्यक्तित्व ही नष्ट हुआ यह मान लिया जाता है। जबकि बलात्कार में समाज उत्पीडिता को संवेदना की दृष्टि से न देखकर बहुत ही हेय दृष्टि से देखता है।

इसके पीछे भी समाज के बुद्धिजीवियों की वैमनस्यता नज़र आती है। अगर हम इस तरह के समाज को सभ्य समाज कहेंगे तो फिर स्त्री-पुरुष समानता पर आधारित समाज को क्या कहेंगे? हमेशा यह देखा गया है कि इस प्रकार की वीभत्स घटना को इज्जत से जोड़ दिया जाता है। जिसमें उसके एक व्यक्ति या मनुष्य होने को खारिज किया जाता है। बलात्कार को इज्जत के साथ जोड़कर देखे जाने के कारण ही इज्जत की यह अवधारणा सिर्फ समाज में उस उत्पीडिता तक ही सीमित नहीं रह जाती उसके परिवार, जाति, धर्म, समाज, और देश तक वायप्त होती है। एक स्त्री का बलात्कार उसके समाज में दूसरे संबंधो को भी प्रभावित करता है। बलात्कार एक शारीरिक दुर्घटना, अमानवीय या अस्मिता से हटकर कैसे इज्जत का मसला हो जाता है| और स्त्री-अस्मिता के सवाल, स्त्री की यौनिकता और इज्जत यह कैसे आपस में गुथे हुए है यह समझने की जरूरत है| अबतक का इतिहास हमें बताता है कि जितनी भी

लड़ाइयाँ इतिहास में हुई उनमें स्त्री केंद्र में थी, और किसी की इज्जत स्त्री है सिवाय उसकी अपनी अस्मिता के, इस पर बात करने का सिलसिला देश-विदेश के समाजसुधार और महिला आंदोलनों ने शुरू किया| किसी जाति विशेष या समुदाय से बदला लेना, या उसे नीचा दिखाने के लिए यह पहला प्रहार होता है। स्त्री को शारीरिक या मानसिक, यौनिक प्रताड़ना देना यह पिछले कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है| समाज में बलात्कार के माध्यम से एक जाति का दूसरी जाति पर वर्चस्व बनाया है। जिसमें ऊंची जाति या वर्ग के लोग निम्न जाति के लोगों की लड़कियों का बलात्कार करते हैं अपना वर्चस्व बनाने के लिए क्योंकि बलात्कार को वें लोग एक हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। कुछ भी कहें लेकिन बलात्कार समाज में सबसे दुखद और बुरी घटना हैं,

जिसके लिए कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और मनोवैज्ञानिकों तथा नारीवादियों ने आवाज उठाई, बहुत सारे आंदोलन किये और कानूनी प्रक्रिया और न्यायव्यवस्था का नजरिया महिलाओं के प्रति संवेदनशील कैसे बनाया जाए इसलिए दिशा-निर्देश दिये जिसके तहत बलात्कारी को जल्द से जल्द सजा मिल सके। महिला आंदोलनों ने भारत में योनिकता को पुनर्भाषित करने की कवायद की और भारत के विभिन्न इलाकों में हो रही बलात्कार की घटनाओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर न्याय प्रक्रिया को सुधारने और बलात्कार की परिभाषा को बढ़ाने का काम किया | मथुरा रेप केस(महाराष्ट्र), रमिजा बी (हैदराबाद), भावरी देवी (राजस्थान), सोनी सूरि (छत्तीसगढ़), मनोरमा(मणिपुर) और ऐसे तमाम बलात्कार की घटनाओं में कानून के रुख को पितृसत्तात्मक विचारधारा और सत्ता के भले का सोचने वाला साबित किया | स्त्री और यौनिक हिंसा को देखने की कानून और समाज दोनों की दृष्टि साफ है कि वें दोनों ही इस घटना को किस रूप में ले रहे है| बलात्कार को एक ही परिधि में नहीं देखा जा सकता कभी यह व्यक्तिगत द्वेष, धर्म, जाति, परिवार, युद्ध, राष्ट्र, के नाम पर वैधता दिये जाने का सबूत मिलता है| बलात्कार के बहुत सारे प्रकार है जिसके लिए कानून में सजा भी अलग-अलग निर्धारित की जाती है| बलात्कार के प्रकार में गैंग रेप, वैवाहिक रेप,जेल में रेप, बालिका रेप,आदि लिए जाते है।

"स्त्री के लिए बलात्कार मृत्युजनक शर्म हैं" ए.आइ.आर सुप्रीम कोर्ट 1980, जब न्यायाधीशों की मानसिकता में स्त्री को बलात्कार के बाद मर जाना चाहिए जैसी मानसिकता है तो आम जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है। 1970 के दशक में मथुरा रेप केस का फैसला हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़की चरित्रहीन थी और उसका बलात्कार नहीं हुआ"।

इस फैसले के विरोध में 18 जनवरी 1980 को कई संगठन सड़कों पर आए। उन्होंने मिलकर फोरम अगेन्स्ट रेप नामक एक फोरम बनाया जिसके माध्यम से आंदोलन फैला। सन 1978 में हैदराबाद में एक गरीब महिला रमीजा बी का पुलिस द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया, इस घटना पर करीब 22,000 लोगों समेत महिला समूहों और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं नें मोर्चा निकाला"| 1990 में सरकार की महिला विकास कार्यकर्ता भंवरी देवी के सामूहिक बलात्कार की केस सामने आई जिस पर सेशन जज का फैसला था कि भंवरी देवी का बलात्कार नहीं हुआ है क्योंकि उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को नहीं छु सकते इसपर देशभर के महिला आंदोलनों ने कडा विरोध जताया| बलात्कार का एक जातीय, वर्गीय, धार्मिक आधार होता है यह इन सभी घटनाओं समझ में आता है| जब आदिवासी, अनुसूचित जाती, या अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के साथ यह अपराध होता है तो समाज और कानून, महिला और अन्य समाज सुधार आंदोलनों की क्या भूमिका होती है यह देखने को मिलता है | इन घटनाओं को दर्ज करने से लेकर चिकित्सा तक कितने चक्कर लगाने पड़ते है और राजनीतिक भेदभाव भी सहना पड़ता है| महिला होने के नाते वो हाशिये पर तो है ही पर सामाजिक दृष्टि से भी वें नजरंदाज और भेदभाव को झेलती है| 24 नवंबर 1998 गुजरात में आदिवासी महिला के साथ पुलिस हिरासत में सामूहिक बलात्कार हुआ , दिसंबर 16, 2012 में दिल्ली का सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया और इसके बाद भारी मात्रा में जन सैलाब आंदोलन करने रास्ते पर उतरा" | नतीजे के तौर पर रेप के कानून में बदलाव किए गए जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में यौनिक अपराध को बड़ा रूप दिया गया बलात्कार किसे कहेंगे यह सुनिश्चित किया गया | अब सिर्फ किसी पुरुष द्वारा महिला के शारीर के गुप्तांगों को छुना या हानि पहुँचना ही नहीं बल्कि महिला को यौनिक प्रताड़णा जैसे किसी वस्तु तथा धातु, औज़ार

से या घुरना, तथा ऐसी सभी घटनाएँ जिससे महिला यौनिक हिंसा झेलती है सब अपराध में आयेगा | अरुंधति रॉय 29 जून 2013 "रेप तो रेप है चाहे दिल्ली हो या कश्मीर " में लिखती है गुजरात में मुसलमानों के साथ, कश्मीर में आर्मी द्वारा, मणिपुर में, खैरलांजी में भी बलात्कार करके जिंदा जला दिया तब कोई आवाज नहीं उठात| यह लोगों की सामंती मानसिकता है वे तभी आवाज उठाते हैं जब बड़ी जाति के, प्रभुत्व वाले लोगों के साथ दिल्ली में कुछ होता है" अब बलात्कार पर खुलकर चर्चा होने लगी जबकि पहले यह संभव नहीं था| यौन उत्पीड़न के मामलों पर घर वाले चुप रहना पसंद करते थे क्योंकि इसे इज्जत और बेज्जती के साथ जोड़कर देखने की मानसिकता लगभग पूरे समाजों की त्रासदी है

यह शोध महाराष्ट्र के वर्धा जिले में करने का मेरा फैसला एक ऐतिहासिक कारण है। वर्धा जिला एक ऐतिहासिक धरोहर को लिए हुए है इसे गांधी जिला कहा जाता है, लेकिन इस जमीन पर बुद्ध, फुले, अंबेडकर, विनोबा की विचारधारा को मानने वाला जन सैलाब भी मौजूद है| भारत के तमाम राज्यों के मुक़ाबले महाराष्ट्र में शिक्षा, दहेज, विधवा पुनर्विवाह, जाति प्रथा जैसे कई मुद्दों की बातचीत और आंदोलनों की कहानी मौजूद है| महाराष्ट्र की जमीन पर कई समाजवादी, सुधारवादी आंदोलनों की लंबी लड़ाई लडी गई और यह भूमि दलित चेतना, महिलाओं के अधिकार, धार्मिक कर्मकांड, मानव के अधिकारों के विरोधी उन सभी प्रथा परम्पराओं के खिलाफ आवाज उठाने के इतिहास की गवाह है|

मेरे जहन में यह विचार हमेशा चलता रहता है कि महाराष्ट्र एक महापुरुषों और विदुषियों की भूमि रहा है जिसमें बहुत सारे संत, समाज सुधारक, स्त्री चिंतक और जन कल्याणी लोग रहे है जिन्होंने जन चेतना में बहुत योगदान दिया है| महिलाओं के लिए यह राज्य काफी हद तक समतवादी और लोकतान्त्रिक जनचेतना वाला है, महलाएँ काफी आजाद है, शिक्षा का स्तर भी ऊंचा है लेकिन ऐसा क्या है कि आए दिन उनके खिलाफ हिंसा कि भयानक वरदाद सुनने को मिल रही है| क्या इस समाज में पितृसत्ता के खिलाफ कोई खास आंदोलन नहीं चला या इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है| आखिर महिलाएं आए दिन बलात्कार कि शिकार क्यू हो रही है| वर्तमान में यहाँ बहुत सी बलात्कार की घटनाएँ देखने और सुनने में

आ रही है। इसका क्या कारण है? ऐसे में इस अमानवीय कृत्य पर प्रहार करना, वार्तमान समय में इसे न सिर्फ समझने की जरूरत है बल्कि अतिआवश्यक विषय के रूप में लेने की जरूरत है| महाराष्ट्र को महिलाओं के दृष्टिकोण से सुरक्षित समझे जाने के कई कारण है, अगर हम भारत के तमाम राज्यों का ब्योंरा करें तो यह बात समझ में आती है| लेकिन विगत कई वर्षों से यह धारणा टूट रही है, जमीनी हकीकत कुछ और ही है| 29 दिसम्बर 2006 को भंडारा जिले के खेरलांजी में पूरे परिवार का सामूहिक बलात्कार कर निर्मम हत्या की गई और भाई को माँ और बहन के साथ दुष्कर्म करने के लिए कहा गया, मना करने पर उसके गुप्तांगों में बांस डाला गया" | इस घटना में पूरा गाव शामिल था क्योंकि उन्हें पूरे गाव में नग्न कर घुमाया गया और सजा केवल 10 को मिली| 2 अप्रैल 2012 को आष्टि तालुका में 48 वर्षीय महिला का सामूहिक बलात्कार में तीन लोग शामिल थे एक को सबूतों की कमी के कारण छोड़ दिया गया"|

4 अप्रैल 2015 को ठाणे में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दो युवको ने बलात्कार किया और ऐसे कई मामले है जो दर्ज होते हैं जो दर्ज नहीं होते उनकी सूची आई काफी है" | वर्तमान मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने विधान सभा में जानकारी दी की, महाराष्ट्र राज्य में बलात्कार की घटनाओं में 63 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है"। 2012 की तुलना में बलात्कार जैसे अपराधों में 63.26 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार बलात्कार की घटनाओं में 93% आरोपी पीड़िता के परिचित थे"। आंकड़े चौका देने वाले हैं और यह जानना जरूरी हो जाता है कि सरकार और समाज का इस घिनौने अपराध के प्रति क्या नजरिया है? क्या इसका इन दोनों के पास कोई सुधारात्मक दृष्टिकोण है ? इन प्रश्नों के कारण और उत्तर जानने के लिए इन पुस्तकों और लेखों का अध्ययन किया हैं।